भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3156

22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देना

3156. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): भारत सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास और प्रगति को सहायता और सुविधा प्रदान करती है। लाभार्थी उन्मुख या अन्यथा होने के निरपेक्ष सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है और लाभार्थी किसान होते हैं, इसलिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा करने में इसका उत्प्रेरक प्रभाव है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

अनुबंध- I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं के बारे में संक्षिप्त सार

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रयोजन
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	इस योजना का उद्देश्य सभी भू-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे प्रति वर्ष 6000/- रुपये (2000/- रुपये की तीन समान किश्तों में) ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।
2.	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	भू-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में न्यूनतम या कोई बचत नहीं होती है और आजीविका के नुकसान की स्थिति में उनकी सहायता करना।
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ़्तार)	किसानों के प्रयास को बनाने, जोखिम कम करने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने का लक्ष्य है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 में आरकेवीवाई-रफ़्तार के तहत नवाचार और कृषि-उद्यमिता नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। इस संबंध में, इस मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश भर से पांच ज्ञान भागीदारों (केपी) को उत्कृष्टता केंद्र और चौबीस आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) के रूप में नियुक्त किया है।
4.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	यह सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध किसानों के लिए सस्ती फसल बीमा योजना है।
5.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल मुख्य रूप से सटीक/सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सुव्यवस्थित सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई के अनुपूर्ति हेतु सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संचयन/प्रबंधन गतिविधियों में भी सहायता करता है।
6.	राष्ट्रीय शहद एवं मधुमक्खी मिशन (एनबीएचएम)	आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) शुरू किया गया है। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं आदि की स्थापना पर मुख्य जोर दिया जाएगा। एनबीएचएम के तहत वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अब तक लगभग 118.00 करोड़ रुपये की सहायता से 70 परियोजनाएं अनुमोदित / स्वीकृत की गयी हैं।
7.	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)	कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 2020--21 से 2029-30 तक चालू है। इसका उद्देश्य फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे

		का निर्माण करना है। यह योजना ब्याज छूट और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करेगी। योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को बहुउद्देशीय ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
8.	ब्याज छूट योजना (आईएसएस)	इसका उद्देश्य सभी किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण के माध्यम से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना।
9.	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	कृषि आय के पूरक के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन के साथ-साथ उद्योगों की गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता की उपलब्धता में योगदान करने के लिए गैर-वन सरकारी और निजी भूमि में बांस रोपण के तहत क्षेत्र को बढ़ाना । पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) वर्ष 2018-19 से चालू है। यह योजना उत्पादकों (किसानों), प्राथमिक प्रसंस्करणकर्ताओं, कारीगरों को रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्लस्टर एप्रोच मोड में कौशल विकास और ब्रांड निर्माण पहल सुविधाओं के निर्माण से उद्योग के साथ जोड़ने के लिए बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर केंद्रित है। यह योजना 23 राज्यों में गैर-वन सरकारी भूमि और निजी किसानों के खेत में लागू की जा रही है।
10.	कृषि वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ)	उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आय सृजन और ग्रामीण परिवारों, विशेषकर छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए फसलों और पशुधन के साथ अनुपूरक और एकीकृत ढंग से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तारित करना।
11.	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम)	पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित करना और बढ़ावा देना
12.	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	सहभागी मोड में विस्तार सुधारों को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) जैसी नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों तक प्रौद्योगिकी का प्रसार करके विस्तार प्रणाली को किसान द्वारा संचालित और किसानों के प्रति जवाबदेह बनाना।
13.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि विद्युत की उपलब्धता कम है, वहां तक कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना
14.	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसकी विविध कृषि-जलवायु संबंधी विशेषताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी के संवर्धन, विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम), प्रसंस्करण और विपणन सहित क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना;
15.	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	सभी फसलों के उच्च उपज वाले प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना और इन्हें कई गुना बढ़ाना तथा इन्हें किसानों को उपलब्ध कराना।
16.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	देश के चिन्हित जिलों में स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के

	मिशन (एनएफएसएम)	माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन मोटे अनाज (मक्का और जौ), पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य छोटे कदन्न) और वाणिज्यिक फसलों (जूट, कपास और गन्ना), तिलहन एवं ऑयल-पाम का उत्पादन बढ़ाना।
17.	एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)	बागवानी, पशुधन, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, बांस, लघु वन उपज सहित कृषि और संबद्ध उत्पादों के विपणन योग्य अधिशेष और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहायक उत्पाद आदि के प्रभावी ढंग से रख-रखाव और प्रबंधन के लिए विपणन अवसंरचना का विकास करना।
18.	10,000 किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	यह योजना फरवरी, 2020 में 6865 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए आर्थिक मजबूती और मंडी संपर्क बढ़ाने के लिए एफपीओ में एकत्रित करना है ।
19.	परंपरागत कृषि विकास योजना	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के सतत मॉडल का विकास करना है ताकि दीर्घकालिक मृदा की उर्वरता निर्माण, संसाधन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता को बढ़ाना है और इस तरह कृषि-रसायनों के उपयोग के बिना जैविक प्रथाओं के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करता है।
20.	पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप मिशन (एसएमपीपीक्यू)	इस उप मिशन का प्राथमिक उद्देश्य कीटों, रोगों, खरपतवारों, सूत्रकृमियों, कृन्तकों आदि के प्रकोप से कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है और हमारी कृषि जैव सुरक्षा को घुसपैठ और विदेशी प्रजातियां के प्रसार से बचाना है। उप मिशन वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और पौध संरक्षण रणनीतियों और तकनीकों के संबंध में अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।

***